

बिहार विधान सभा सचिवालय

**अष्टादश बिहार विधान सभा का प्रथम सत्र
दिनांक 05 दिसम्बर, 2025**

की

कार्य-सूची

**वित्तीय वर्ष 2025-2026 के द्वितीय अनुपूरक
व्यय विवरण से संबंधित
कटौती प्रस्ताव**

माँग संख्या-01

आय-व्ययक शीर्षक-कृषि विभाग

1. प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कृषि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 395,32,42,000/- (तीन सौ पंचानवे करोड़ बत्तीस लाख बयालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 2-5. श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार, श्री कुमार सर्वजीत एवं श्री संदीप सौरभ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की कृषि नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-02

आय-व्ययक शीर्षक-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

6. प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 263,08,82,000/- (दो सौ तीसठ करोड़ आठ लाख बयासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

7. श्री राहुल कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पशु एवं मत्स्य संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-03

आय-व्ययक शीर्षक-भवन निर्माण विभाग

8. प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "भवन निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 784,62,92,000/- (सात सौ चौरासी करोड़ बासठ लाख बानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 9-11. श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की भवन निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-04

आय-व्ययक शीर्षक-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

12. प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 587,67,10,000/- (पाँच सौ सत्तासी करोड़ सड़सठ लाख दस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-06

आय-व्ययक शीर्षक-निर्वाचन विभाग

13. प्रभारी मंत्री, निर्वाचन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निर्वाचन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 के उपबन्ध के अतिरिक्त 122,00,00,000 (एक सौ बाईस करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-07

आय-व्ययक शीर्षक-निगरानी विभाग

14. प्रभारी मंत्री, निगरानी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "निगरानी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 6,81,30,000 (छः करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-08

आय-व्ययक शीर्षक-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

15. प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2,90,50,000/- (दो करोड़ नब्बे लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-09

आय-व्ययक सहकारिता विभाग

16. प्रभारी मंत्री, सहकारिता विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सहकारिता विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 8,86,15,000/- (आठ करोड़ छियासी लाख पन्द्रह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 17-19. श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की सहकारिता नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-10

आय-व्ययक शीर्षक-ऊर्जा विभाग

20. प्रभारी मंत्री, उर्जा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ऊर्जा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 7264,67,58,000/- (सात हजार दो सौ चौसठ करोड़ सड़सठ लाख अठान्न हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

21. श्री राहुल कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-12

आय-व्ययक शीर्षक-वित्त विभाग

22. प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वित्त विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 22530,60,12,000/- (बाईस हजार पाँच सौ तीस करोड़ साठ लाख बारह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

23. श्री राहुल कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार वित्त नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-16

आय-व्ययक शीर्षक-पंचायती राज विभाग

24. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पंचायती राज विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1244,56,01,000/- (एक हजार दो सौ चौवालीस करोड़ छप्पन लाख एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 25-27. श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

मांग संख्या-17

आय-व्ययक शीर्षक-वाणिज्य कर विभाग

28. प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "वाणिज्य कर विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1,000/- (एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

29. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 19,90,00,000/- (उन्नीस करोड़ नब्बे लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

30. श्री राहुल कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-19

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

31. प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 188,98,84,000/- (एक सौ अठासी करोड़ अठानवें लाख चौरासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

32. श्री राहुल कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-20

आय-व्ययक शीर्षक-स्वास्थ्य विभाग

33. प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3088,95,26,000/- (तीन हजार अठासी करोड़ पंचानवें लाख छब्बीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 34-36. श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-21

आय-व्ययक शीर्षक-शिक्षा विभाग

37. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 15725,07,73,000/- (पन्द्रह हजार सात सौ पच्चीस करोड़ सात लाख तिहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 38-39. श्री आलोक कुमार मेहता एवं श्री राहुल कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-22

आय-व्ययक शीर्षक-गृह विभाग

40. प्रभारी मंत्री, गृह विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गृह विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 711,87,18,000/- (सात सौ ग्यारह करोड़ सत्तासी लाख अठारह हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-23

आय-व्ययक शीर्षक-उद्योग विभाग

41. प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 858,37,77,000/- (आठ सौ अठारह करोड़ सैतीस लाख सतहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 42-44. श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार की उद्योग नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-25

आय-व्ययक शीर्षक-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

45. प्रभारी मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सूचना प्रौद्योगिकी विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 152,66,52,000/- (एक सौ बावन करोड़ छियासठ लाख बावन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-26

आय-व्ययक शीर्षक-श्रम संसाधन विभाग

46. प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "श्रम संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 65,99,99,000/- (पैंसठ करोड़ नित्यानवे लाख नित्यानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

47. श्री राहुल कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की श्रम संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-27

आय-व्ययक शीर्षक-विधि विभाग

48. प्रभारी मंत्री, विधि विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधि विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 104,00,01,000/- (एक सौ चार करोड़ एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-30

आय-व्ययक शीर्षक-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

49. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 66,12,01,000/- (छियासठ करोड़ बारह लाख एक हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

50. श्री राहुल कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-31

आय-व्ययक शीर्षक-संसदीय कार्य विभाग

51. **प्रभारी मंत्री**, संसदीय कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "संसदीय कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 4,82,61,000/- (चार करोड़ बयासी लाख इकसठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-32

आय-व्ययक शीर्षक-विधान मंडल

52. **प्रभारी मंत्री**, विधान मंडल प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विधान मंडल" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 3,47,00,000/- (तीन करोड़ सैतालीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-33

आय-व्ययक शीर्षक-सामान्य प्रशासन विभाग

53. **प्रभारी मंत्री**, सामान्य प्रशासन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "सामान्य प्रशासन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 113,14,42,000/- (एक सौ तेरह करोड़ चौदह लाख बयालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

माँग संख्या-35

आय-व्ययक शीर्षक-योजना एवं विकास विभाग

54. **प्रभारी मंत्री**, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "योजना एवं विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 96,12,00,000/- (छियानवे करोड़ बारह लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

55. **श्री राहुल कुमार** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-36

आय-व्ययक शीर्षक-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

56. **प्रभारी मंत्री**, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 150,00,00,000/- (एक सौ पचास करोड़) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 57-59. **श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-37

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण कार्य विभाग

60. **प्रभारी मंत्री**, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण कार्य विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1390,02,10,000/- (एक हजार तीन सौ नब्बे करोड़ दो लाख दस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 61-64. **श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार, श्री कुमार सर्वजीत एवं श्री संदीप सौरभ** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।
राज्य सरकार की ग्रामीण कार्य नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-38

आय-व्ययक शीर्षक-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

65. प्रभारी मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 50,00,000/- (पचास लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

66. श्री राहुल कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-39

आय-व्ययक शीर्षक-आपदा प्रबंधन विभाग

67. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 9,63,56,000/- (नौ करोड़ तिरसठ लाख छप्पन हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

68. श्री राहुल कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-40

आय-व्ययक शीर्षक-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

69. प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 15,68,47,000/- (पन्द्रह करोड़ अड़सठ लाख सैतालीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

70. श्री राहुल कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-41

आय-व्ययक शीर्षक-पथ निर्माण विभाग

71. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पथ निर्माण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1261,21,00,000/- (एक हजार दो सौ इकसठ करोड़ इक्कीस लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 72-74. श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-42

आय-व्ययक शीर्षक-ग्रामीण विकास विभाग

75. प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "ग्रामीण विकास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 24050,04,79,000/- (चौबीस हजार पचास करोड़ चार लाख उनासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 76-78. श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-43

आय-व्ययक शीर्षक-विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

79. प्रभारी मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 8,65,97,000/- (आठ करोड़ पैंसठ लाख सतानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-44

आय-व्ययक शीर्षक-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

80. **प्रभारी मंत्री**, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 198,77,33,000/- (एक सौ अठानवे करोड़ सतहतर लाख तैंतीस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-45

आय-व्ययक शीर्षक-गन्ना उद्योग विभाग

81. **प्रभारी मंत्री**, गन्ना उद्योग विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "गन्ना उद्योग विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 16,62,69,000/- (सोलह करोड़ बासठ लाख उनहतर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

मांग संख्या-46

आय-व्ययक शीर्षक-पर्यटन विभाग

82. **प्रभारी मंत्री**, पर्यटन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "पर्यटन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 15,53,00,000/- (पन्द्रह करोड़ तिरपन लाख) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

83. **श्री राहुल कुमार** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की पर्यटन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-47

आय-व्ययक शीर्षक-परिवहन विभाग

84. **प्रभारी मंत्री**, परिवहन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "परिवहन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 145,03,82,000/- (एक सौ पैतालीस करोड़ तीन लाख बयासी हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

माँग संख्या-48

आय-व्ययक शीर्षक-नगर विकास एवं आवास विभाग

85. **प्रभारी मंत्री**, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 2345,97,73,000/- (दो हजार तीन सौ पैतालीस करोड़ सतानवे लाख तिहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
- 86-88. **श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-49

आय-व्ययक शीर्षक-जल संसाधन विभाग

89. **प्रभारी मंत्री**, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 1115,19,96,000/- (एक हजार एक सौ पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख छियानवे हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 90-92. **श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-50
आय-व्ययक शीर्षक-लघु जल संसाधन विभाग

93. **प्रभारी मंत्री**, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "लघु जल संसाधन विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 12,04,28,000/- (बारह करोड़ चार लाख अठाइस हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 94-96. **श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-51
आय-व्ययक शीर्षक-समाज कल्याण विभाग

97. **प्रभारी मंत्री**, समाज कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "समाज कल्याण विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 5263,40,67,000/- (पाँच हजार दो सौ तिरसठ करोड़ चालीस लाख सड़सठ हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 98.-100. **श्री आलोक कुमार मेहता, श्री राहुल कुमार एवं श्री कुमार सर्वजीत** प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार की समाज कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-52
आय-व्ययक शीर्षक-खेल विभाग

101. **प्रभारी मंत्री**, खेल विभाग प्रस्ताव करेंगे कि द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए "खेल विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2025 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2025 के उपबन्ध के अतिरिक्त 55,46,71,000/- (पचपन करोड़ छियालीस लाख इकहत्तर हजार) रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

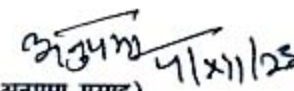
102. श्री राहुल कुमार प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।
राज्य सरकार की खेल नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

कटीती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-08/2025- 4265 / वि०सं०, पटना, दिनांक- 4 दिसम्बर, 2025 ई० ।

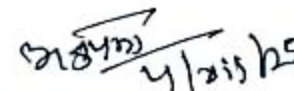
प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य मंत्रीगण / अन्य मंत्रीगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग / सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(अनुपमा प्रसाद)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-08/2025- 4265 / वि०सं०, पटना, दिनांक- 4 दिसम्बर, 2025 ई० ।

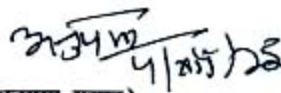
प्रति:-प्रशाखा पदाधिकारी, अध्यक्षीय कार्यालय / आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित ।


(अनुपमा प्रसाद)
निदेशक,

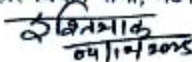
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-08/2025- 4265 / वि०सं०, पटना, दिनांक- 4 दिसम्बर, 2025 ई० ।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(अनुपमा प्रसाद)
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।


04/12/2025